नगर परिषद कालका
Municipal Council Kalka
E-mail:- Eo-kalka@ulbharyana.gov.in Landline no.01733-220818

"सार्वजनिक सूचना"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्य न्यायलय ने भारत सघं बनाम गुजरात राज्य एंव अन्य के रूप में विशेष अपील (सी) संख्या 8519/2006 में पारित दिनांक 29.09.2009 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि उस तिथि के बाद सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनकि पार्को या सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद या गुरूद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा या अनुमति नहीं दी जायेगी और प्रारम्भिक रूप से रिपोर्ट मांगने और कार्यान्वयन की निगरानी के बाद दिनांक 31.01.2018 के आदेश के तहत मामलो को प्रभावी तरीके से अपने आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित उच्च न्यायलय को भेज दिया है।

उच्च आदेशों की पालना में सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट, सरकारी पार्क, सड़क, फुटपाथ इत्यादी पर बने अवैध धार्मिक सरस्थान स्ट्रक्चर, भवन आदि को तुरन्त प्रभाव से हटा लें अन्यथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त भवनो को तोड़–फोड कर हटा दिया जायेगा, जिसमें होने वाले हर्जा खर्चा के लिये उपरोक्त संस्थानों को चलाने वाले अनुयायी स्वंय जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित के विरूद्व दंडात्मक एंव न्यायलय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

No. 35198/HRY मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।